

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 4777 / 2000 / अलवर</u> सरकार बनाम महरू</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-8-25	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अति० जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 31-08-2000 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार राजगढ़ ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अति० जिला कलेक्टर, प्रथम, अलवर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 416 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मायाडी तहसील राजगढ़ की भूमि मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी महाराज पुजारी रामचन्द्र साकिन देह दर्ज रिकार्ड थी। जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी माफी मंदिर श्री सीतारामजी की आराजी है तथा माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफरेंस प्रकरण अति० जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। अति. जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।</p> <p>3. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरुद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 4777 / 2000 / अलवर</u> सरकार बनाम महरू</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>4. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई।</p> <p>5. उप राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि साबिक आराजी खसरा संख्या 416 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा हाल खसरा संख्या 330 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा ग्राम मायाडी तहसील राजगढ़ की भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी महाराज बएहतमाम रामचन्द्र पुत्र किशनलाल माफी बसीगे भोग खर्च साकिन देह दर्ज रिकार्ड थी। जिसे बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी माफी मंदिर श्री सीतारामजी की आराजी है तथा माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना पूर्णतया गलत व विधि विरुद्ध है।</p> <p>7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अति० जिला कलेक्टर प्रथम अलवर ने रिकार्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 4777 / 2000 / अलवर</u> सरकार बनाम महरू</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>8. निष्कर्षतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को पुनः "माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज" के नाम पूर्ववत् बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(मदनलाल नेहरा) सदस्य</p>	